

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान) केम्प गुडालास  
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आर्.ए.एस.  
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 22/2021 GCMS No 2021/  
दायरा तिथि : 29.10.2021  
फैसला तिथि : 29.10.2021

**प्रार्थीगण:-**

ग्रामवासी गुडालास जरिये  
सरपंच ग्राम पंचायत गुडालास तहसील-बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बनाम

**अप्रार्थी :-**

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

-:: आदेश ::-

दिनांक 29.10.2021

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ग्रामवासी पांचलवाडा द्वारा कदीमी रास्ते को मौके पर मौजूद स्थिति के अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण संस्थापित कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से ली गई। पटवारी हल्का, गुडालास एवं निरीक्षक भू अभिलेख मौखमपुरा ने मौके व रेकर्ड से जांच कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पांचलवाडा में निम्न वर्णित खसरा नंबरान् की भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होकर सिवायचक व गोचर के रूप में दर्ज है, परन्तु इन खसरों में कदीमी रास्ता है, जो पिछले कई वर्षों से आम जन के आने जाने के लिये इस्तेमाल हो रहा है, इसलिये मौके पर मौजूद कदीमी रास्ते को निम्नानुसार रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम किये जाने का निवेदन किया:-

क्र० सं०	खसरा नंबर	किस्म	खातेदार	प्रभावित रकबा वर्गमीटर में	शेष रकबा	विशेष विवरण
01	191	गै.मु. पहाड	सिवाय चक	12X160=1920 वर्गमीटर 12X200=2400 वर्गमीटर 4320 वर्गमीटर	18.43	
02	190	बारानी अव्वल गोचर	गोचर	12X240=2880 वर्गमीटर	1.972	
03	193	बा.दो.	गोचर	12X800=9600 वर्गमीटर	58.75	
04	198	बारानी अव्वल	गोचर	12X1800=2160 वर्गमीटर	0.704	
			कुल योग	18960 वर्गमीटर		

अपनी रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया गया कि प्रस्तावित (कदीमी) रास्ता मौके पर चालू है तथा मौके पर डामर सडक का निर्माण किया हुआ है। उक्त डामर सडक ग्राम पांचलवाडा के आने जाने के उपयोग में ली जाती है। जिससे मौका स्थिति के अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान् की भूमि मेंसे 18960 वर्गमीटर भूमि को मौका स्थिति के अनुसार रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम की अनुशंषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित है कि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 191, 190, 193, 198 किस्म गैर मुमकीन पहाड, बा.अ., गोचर जो कि राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक व गोचर दर्ज है, परन्तु इन खसरा नंबरान् की भूमि में उपरोक्तानुसार कुल 18960 वर्गमीटर मौके पर कदीमी रास्ता व डामर सडक मौजूद है, इसका अंकन राजस्व रेकर्ड में तथा नक्शे में नहीं है, जिससे उक्त रास्ता से गुजरने वाले लोगों को कठिनाई होने से परिवाद दर्ज किये जाते रहे है, जिसको अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये रेकर्ड शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की गई है।

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया।  
**131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer (i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue ( Land Record) Rules, 1957.**

पेज लगातार.....

उपखण्ड अधिकारी  
बाली

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : /2021 GCMS No 2021/

अन्वयान ग्रामवासी गुडालास जरिये संबंध ग्राम पंचायत गुडालास बन्नाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिदारी) तहसीलदार, बाली  
अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में नक्शा (मानचित्र) के संबंध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं संबंधित राजस्व अधिकारी नक्शे की शुद्धि के लिये जिम्मेदार हैं। इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 209 के अनुसार- उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ-साथ अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता है। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई है। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षों के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार, बाली ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 191, 190, 193, 198 किस्म गैर मुमकीन पहाड, बा.अ., गोचर जो कि राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक व गोचर दर्ज है, को मौका स्थिति अनुसार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत निम्नानुसार राजस्व रेकर्ड में बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज करने के साथ राजस्व नक्शे में संशोधन के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र0 सं0	खसरा नंबर	किस्म	खातेदार	प्रभावित रकबा वर्गमीटर में	शेष रकबा	विशेष विवरण
01	191	गै.मु. पहाड	सिवाय चक	12X160=1920 वर्गमीटर 12X200=2400 वर्गमीटर 4320 वर्गमीटर	18.43	
02	190	बारानी अब्बल गोचर	गोचर	12X240=2880 वर्गमीटर	1.972	
03	193	बा.दो.	गोचर	12X800=9600 वर्गमीटर	58.75	
04	198	बारानी अब्बल	गोचर	12X1800=2160 वर्गमीटर	0.704	
		कुल योग		18960 वर्गमीटर		

पटवारी हल्का, गुडालास निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, गुडालास को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



आज दिनांक 29.10.2021 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(श्री अरुण (प्रकाश)  
उपखण्ड अधिकारी  
भू0 अभिलेख अधिकारी  
(ए.एस.ओ.) बाली  
भू0 अभिलेख अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाली